समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना–02/2016–17

माननीय स0वि0स0 (सिहेंश्वर) प्रो0 रमेश ऋषिदेव द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आठ (8) विद्यालयों में हेल्थ क्लब उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के अनुशंसा के आलोक में निबंधित एवं ख्याति प्राप्त उत्पादन कर्त्ता/प्राधिकृत वितरकों से मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में अध्यक्ष महोदय, क्रय समिति के निदेशानुसार (संचिका संख्या 17–2/2016–17 टिप्पणी पृष्ठ संख्या 03 दिनांक 20.07.2016) के आलोक में आमंत्रित किया जाता है। टंकित एवं मुहरबंद निविदा दिनांक 10.09.2016 के 12 बजे तक जिला योजना कार्यालय, समाहरणालय, मधेपुरा में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे क्रय समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदादाताओं /अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष सभी प्राप्त टंकित मुहरबंद निविदाओं को जिला योजना कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदा की शर्ते मधेपुरा जिला के वेबसाईट http://madhepura.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

अनुशंसित हेल्थ क्लब उपकरणों की सूची निम्नलिखित है:– (ब्रांडेड कंपनी)

क्रमांक	उपकरणों का नाम
1	मल्टी जीम 10 स्टेशन
2	जौगर डिलक्स मैनुअल
3	रोइंग मशीन
4	पावर स्टेपर
5	एक्सरसाईजिंग साईकिल
6	कार्डियों पावर राइडर
7	हेक स्कवाईड विथ लेग प्रेस
8	क्रॉस केवल मशीन
9	इनक्लाईन बेंच डिलक्स
10	डिक्लाईन बेंच डिलक्स
11	टी0 बार
12	फैट बेल्ट भैवरेटर
13	इम्पोटेड रबराईज्ड डम्बल
14	डम्बल रैक
15	इम्पोटेड रबराईज्ड वेट
16	वेट स्टेंड
17	प्लेन बार–5 पीस
18	ई जैड बार 5 पीस
19	बार स्टेंड

नोटः–अन्य जानकारी जिला येाजना कार्यालय, समहारणालय मधेपुरा से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

जिला योजना पदाधिकारी

मधेपुरा।

निविदा की शर्तेः–

1. निविदा के साथ प्रतिभूति की राशि 35,000/– **(पैंतीस हजार रू0)** मात्र का बैंक ड्राफ्ट (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का) जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा के पदनाम से तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा।

2. निविदादाता को सबंधित कम्पनी का प्राधिकार पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं एस0एस0 आई0 प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता निबंधित फर्म का होना चाहिए। निविदा के साथ निविदादाता को अद्यतन वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा अद्यतन बिक्री कर वैट चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ आयकर विभाग से निगत पैन/टैन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं का विगत तीन वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा संबंधित फॉर्म के काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा सभी प्रमाण पत्र की मूल/ अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा कि इस निविदा में अंकित सभी शर्ते निविदादाता को मान्य है।
9. सभी निविदादाता को दो प्रकार की निविदाएँ (यथा तकनीकी एवं वित्तीय) अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद/सीलबंद कर अलग–अलग समर्पित करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तो के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र/कागजात तकनीकी निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। हेल्थ कल्ब उपकरणों का अलग–अलग दर वित्तीय निविदा में देना होगा।
10. जिन निविदाताओं के तकनीकी निविदा में सभी वांछित प्रमाण पत्र/कागजात होगा उन्ही निविदादाता के वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा, शेष निविदादाता के वित्तीय निविदा को नहीं खोला जायेगा।
11. निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
12. निर्गत आपूर्ति आदेश के आलोक मे आपूर्ति किये गये सामग्रियों की जांच जिला खेल–कूद पदाधिकारी, मधेपुरा अथवा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के भौतिक सत्यापन/जांच संबंधित प्रमाण पत्र के आधार पर उपलब्ध कराये गये सामग्रियों को स्वीकार किया जायेगा, अन्यथा आपूर्ति आदेश रदद् कर दी जायेगी एवं प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. निविदादाता को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
14. हेल्थ कल्ब उपकरणों की सूची एवं विद्यालयों की सूची विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अगले तीन कार्य दिवस तक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
15. स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित निविदादाता/आपूर्तिकर्ता के साथ एकरारनामा करने के उपरांत आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता को कोई अग्रिम राशि देय नही होगा। आपूर्तिकर्ता को संबंधित विद्यालयों में उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा, जिसके लिए उन्हें कोई परिवहन व्यय/अन्य व्यय देय नहीं होगा।
16. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी/क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
17. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र मधेपुरा होगा।

ह0/-
जिला योजना पदाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 488 दिनांक 17.08.2016

प्रतिलिपि–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा, एन0आई0सी0 मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पत्र के साथ सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए कहना है कि इसे मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

17.08.16

जिला योजना पदाधिकारी

मधेपुरा।